

अपील निर्णय के अनुसार
 जामर नम्बर 5-13 के जमानत-
 नाम संख्या 2585 का जमानत
 न्यून अकिलेव निष्पत्ति के निष्पत्ति
 121 (4) के अनुसार में विधि
 निकट प्रारित किया गया है। इस
 नाम अपीलान्त की अपील
 इन्वीकार की जाकर जमानत-
 संख्या 2585 को निरस्त किया
 गया एवं उपर्युक्त तहसील चार
 बिलाड़ा को प्रतिष्ठित किया
 जाकर निदेश दिए गए कि
 जो कृतक शक्ति या चक्रा इवी
 के सभी विधिक कार्रवाई एवं
 कसीयत अनुसार अपीलान्त को
 सुनवाई या अपील इन्वीकार
 संकृत आदि लेका पुनः प्रारित
 जमानत-नाम अकिलेव नाम की
 कार्यवाही करें।

आपिल निर्णय के
 प्रालना करने हेतु तहसील चार
 बिलाड़ा को निर्णय की प्रमाणित
 प्रति लिपि नैजकर व लिखकर
 जाकर प्रालना संग्रह की
 जावे।

पचावली मंसल सुमार
 व जबर के काम होकर
 याकिल वास्तव हो।

निर्णय और इजलास
 सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
 (इन्विज सुमार)
 उप खण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा